प्रारूप–19
(नियम 27 का उपनियम (1))
(अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)
उत्तर प्रदेश सरकार

विभाग का नाम–अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर गुण नियन्त्रण खण्ड–2 हरिद्वार।
अधिसूचना संख्या.....1333...............
दिनांक ....06/02/2021..................

अधिसूचना

अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर गुण नियन्त्रण खण्ड–2 हरिद्वार के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा सिचांई परियोजना हेतु जिला बिजनौर तहसील चान्दपुर परगना बास्टा ग्राम बिरमपुर में स्थित **1.510** हैक्टेयर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 822 दिनांक 17.10. 2020 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 28.11.2020 को प्रकाशित की थी।

अधिनियम की धारा–15 की उपधारा(2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा–19 (1) के अन्तर्गत यह समाधान हो गया है कि अनुसूची क में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है।

अनुसूची–क
(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
बिजनौर	चान्दपुर	बास्टा	बिरमपुर	36/1	1.0120
				76	0.4980
	योग				1.5100

टिप्पणी– उक्त भूमि का स्थल नक्शा जिला बिजनौर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से
जिला कलेक्टर
बिजनौर।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना
(अधिनियम की धारा–19 की उपधारा(2) के अन्तर्गत)

मध्य गंगा नहर गुण नियन्त्रण, खण्ड–2, हरिद्वार के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजना की मुख्य नहर निर्माण परियोजना हेतु जिला **बिजनौर** तहसील **चान्दपुर** परगना **बास्टा** ग्राम **बिरमपुर** में स्थित **1.510** हैक्टेयर भूमि के लिए प्रकाशित अधिसूचना संख्या **822** दिनांक **17.10.2020** के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है।

आज्ञा से
जिला कलेक्टर
बिजनौर।